5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

U.P. U.P. श्री कोषाधिकारी मथुरा

26 AUG 2005

000003

बैनामा 150000/—रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 292000/—रूपया स्टाम्प देय 29200/—रूपया जिसमें से 6000/—रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक—26.5.2004 प्रलेख संख्या—4505 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 23300/—रूपये कास्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/—रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या—41 के कमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा।

मैं कि रतनसिंह पुत्र श्री केसी निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हूं।

रतनसिंह

वास्ते बैनामा

स्टाम्प -2005 5000 पांच हजार रुपये

क्र०सं० 3 ता० 30

नाम श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

निवासी मोती कुंज मथुरा

Sharad - Chaturvedi
शरद चतुर्वेदी स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 26 सन 2002
कचहरी राजस्व, मथुरा

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16- के अधीन इकरारनामा सं० 4505 पर अदा किया गया था 2004 स्टाम्प शु० 5000 को इस बैनामे में समायोजित किया गया।

1500000
1425000

5000
50000

रतनसिंह

रतनसिंह बैनी
आगरा

30/8/05
515

30/8/05

रतनसिंह ने Rs-150000-
पन्द्रह लाख पचास हजार रुपये पूर्ण भुगतान पाये
व श्री प्रतापसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० मोती कुंज
द्वारा मुख्तारनामा नं० ... दि० 30-12-03
श्री राम ... आ० ...
नि० ... मथुरा किया।

पहचान की हरीचन्द पुत्र कुन्दनलाल
नि० आगरा
व श्री उमेश चन्द ... पुत्र ...
नि० सदर मथुरा
30/8/05

रतनसिंह

हरीचन्द

उमेश ...

30/8/05

5000 RS.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

000004

U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P.
वरि० कोषाधिकारी मथुरा
उ.प्र.शासन......
26 AUG 2005
हस्ताक्षर-S.T.O.

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता, नंबर-160 व खसरा नंबर-65 रकवा 4.711 हैक्टेयर लगानी 85.66 रूपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/16 यानि रकवा 73 डिसमिल मिल्कियत मेरी है और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/16 पर मेरा कव्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े

रणजीत सिंह

Armausal

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रू. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000051

U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P. U.P.

उ.प्र. शासन

26 AUG 2005

(3)

झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/16 में सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे हिस्से 1/16 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000052

उ.प्र.शासन......

26 AUG 2005

हस्ताक्षर

भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 1/16 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/16 की स्टाम्प हेतु मालियत 292000/–रूपया है कृषी से कोई खास आय नहीं

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(5)

हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/16 को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 150000/—एक लाख पचास हजार

500 Rs.

(6)

रूपया जिसके आधे 75000/–पिचहत्तर हजार रूपया होते हैं। बदस्त **श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा** के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का रूपया खरीदार से कुल नकद वक्त रजिस्ट्री पाकर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/16 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

(7)

मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का

500Rs.

थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(9)

मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबधंन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163 / 166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

11)

शहर मथुरा को क्रेता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/16 की स्टाम्प हेतु मालियत

100 Rs.

(12)

292000/–रूपये है जिस पर 29200/–रूपये का स्टाम्प देय है जिसमें से 6000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–26.5.2004 प्रलेख संख्या–4505 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 23300/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है।

100Rs.

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक– 30.8.2005

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र स्व0 श्री महेशकुमार
गिर्राज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

जनरल स्टाम्प - 2005

क्रम सं. 9 दिनांक 30 को 100 रु.

नाम श्री .... पुत्र श्री ....

3

Sharad - Chaturvedi

शरद चतुर्वेदी स्टाम्प विक्रेता

ला०नं० 28 सन 2002

दफ्तर रजिस्ट्री, मथुरा

TRY MTR ... GOVT.

01 AUG 2005

Signature-Cashier

30/08/05

1572

121/140

8046

[illegible] ग्राम का नाम : [illegible] परगना : [illegible] खुर्द तहसील : [illegible]

फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
[illegible]								
	[illegible]	नि. ग्राम	[illegible]	65	4.7110		[illegible] वाद सं0 181NTG 12.10.2000 के अनुसार खाता सं0 160 पर दर्ज खातेदार [illegible] का नाम खारिज करके [illegible] नवाली नि0 [illegible] का नाम बतौर [illegible] अंकित हो ह0 ता0 25.10.2000 1408क व आदेश ना0 तह0 [illegible] वाद सं0 191NTG 20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता सं0 160 [illegible] 65 रकवा 4.711 [illegible] 85.65 के यथोचित भाग [illegible] 0.127 रकवा [illegible] नि0 [illegible] का नाम खारिज करके सहखातेदार [illegible] नवाली नि0 [illegible] का नाम बतौर [illegible] सहखातेदार दर्ज हो ह0 ता0 25.10.2000 1408क व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 27.11.2000 पक 11 क्र के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक बताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस [illegible] चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती [illegible] पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो ह0 ता0 27.11.2000 1413फ- व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार [illegible] वाद संख्या 376NTG ता0 30.9.05 के अनुसार खाता संख्या 160 के खसरा संख्या 65 रकवा 4.711 [illegible] 85.65 के यथोचित भाग में [illegible] नि0 [illegible] का नाम खारिज करके [illegible]	
	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	82	4.3530			
	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						
[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	नि. ग्राम						

[illegible] JAN 2007 [illegible]

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------2--------			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00160	नत्थी	बदले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110		1408फ व आदेश श्रीमान ना0 तह0 गो0 महो0 के द्वारा वाद स0 181NTG/12.10.2000 के अनुसार खाता स0 160 पर दर्ज खातेदार नत्थी पुत्र वदले नि0 ग्राम आन्यौर का नाम खारिज करके वजरिये पजीकृत वसीयत विजयपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 अकित हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश ना0 तह0 गो0 वाद स0 191NTG/ 20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता स0 160 गाटा स0 65 रकवा 4.711 ल0 85.65 के यथोचित भाग मेसे 0.127 रकवा से विक्रेता खातेदार केशव देव पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम खारिज करके सहखातेदार क्रेता चन्द्रपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 सहखातेदार दर्ज हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक वताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस सतीश चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम वतौर वारिस दर्ज हो ह0 ले0 27.11.2000 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 376NTG ता0फै0 30.9.05 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा सख्या 65 रकवा 4.711 भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिह पुत्र कैसी निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेन्शन कालौनी	
	केशवदेव	मवासी	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
	चन्द्रपाल	मवासी	नि. ग्राम						
	बाबूलाल	केसी	नि. ग्राम						
	मिहीलाल	केसी	नि. ग्राम						
	रतन सिह	केसी	नि. ग्राम						
	श्रीमती किरन देई विधवा	केसी	नि. ग्राम						
	रमेशचन्द	शिवलाल	नि. ग्राम						
	सूरजभान	शिवलाल	नि. ग्राम						
	अमर सिह वालिगान	शिवलाल	नि. ग्राम						

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------2--------			3	4	5	6	7-12	13
								मौजा मिर्जा पुर का नाम वजरिये बैनामा दर्ज हो ह0 A ARK30.9.05 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 94NTG ता0फै0 6.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा ख्या 65 रकवा 4.711 है. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता सतीशचन्द व मनीषचन्द पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई पत्नी श्री मिहीलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोतीकुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम वजरिये बैनामा बतौर स0 भू0 दर्ज हो ह0ARk 6.1.06 1413फ- व आदेश श्रीन तहसीलदार मथुरा बाद सख्या 77ATM ता0फै0 12.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के गाटा सख्या 64/4.711 है. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता अमर सिह पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता श्री प्रताप सिह पुत्र मौहर सिह निवासी मोती कुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम बैनामा दिनांक 7.12.05 के बतौर अकित हो ह0RK. 12.1.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.1391 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं. 65/4.711 के यथोचित भाग से विक्रेता विजयपाल पुत्र मवासी निवासी ग्राम का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालोनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.1392 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.	147

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								65/4.711 भू.रा.85.65 मे से रकवा 0.855 से विक्रेता केशवदेव पुत्र मवासी व रमेश पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम के यंथोचित भाग से विक्रेतागण का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद सं.602NTG ता.फै.21.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.65/4.711 भू.रा.60ख के यथोचित भाग से विक्रेता सूरजभान पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज कर के क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर का नाम बजरिये बैनामा सं.भू. अंकित हो। ह.ARK.29..11.06	
					कुल गाटे : 2	कुल क्षे : 9.5640	173.90		

हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 76/2006-07

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा आन्यौर

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 23.1.2007 से विदित है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 160 खसरा संख्या 65 रकबा 4.711 भूराजस्व 85.65 पैसे/में से रकबा 2.917हे0 के प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोती कुन्ज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदिकृषि के कार्यों में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्यौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोतीकुन्ज ऐक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा	160	65	4.711	85.65	65	2.917है.	53.00पैसे
	योग-	1 किता	1 किता	4.711	85.65	1 किता	2.917है.	53.00

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

दिनांक: 23.1.2007

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराने हेतु प्रेषित।

दिनांक: 23.1.2007

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
29/11/07

क्रमांक 754
नाम कर्ता प्रताप सिंह
प्रार्थना पत्र देने का दिन 29/11/07
स्टाम्प 7
नकल तैयार होने का दिन 29/11/07
नकल जारी करने का दिन 29/11/07